रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092024-257147
CG-DL-E-13092024-257147

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946
No. 241]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

सं. एस-16012/01/2017-एल.डब्ल्यू(बी).—ठेका श्रम(विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत दिनांक 21.06.1988 की अधिसूचना सं. सा.आ. 2063 के आधार पर उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 1 से 3 में दिए गए कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 15 एमटीपीए के परसा ईस्ट और कांता बसेन कोल ब्लॉक में कोयला खनन परियोजनाओं को छूट देने पर विचार करने के लिए एतद्वारा एक समिति का गठन करता है।

2. समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

1. श्री सुरेंद्र कुमार पांडे, -अध्यक्ष

   भारतीय मजदूर संघ,

   क्वार्टर। 107 पो-विश्रामपुर कोलियारी,

   जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

2. श्री हिमांशु शेखर प्रधान -सदस्य
जी.एम. (एच और ए),
सदस्य नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड,
पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013।

3. श्री जयंत एस. देशपांडे, -सदस्य
सदस्य ई-88, अमर कॉलोनी,
रघुनाथ मंदिर के पास,
लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110024

4. श्री मुकेश माथुर, -सदस्य
सदस्य महासचिव,
उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ (एनडब्ल्यूआरईयू),
रेलवे बंगला नंबर 9बी, गणपति नगर रेलवे कॉलोनी,
जयपुर (राजस्थान)।

5. श्री रंजय कुमार, -सदस्य
सदस्य प्र. नं. 6117, सेक्टर-4/एफ,
बोकारो स्टील सिटी, झारखंड-827004

6. श्री शिव कुमार यादव, -सदस्य
सदस्य अध्यक्ष, कोयला श्रमिक सभा,
डब्ल्यूसीएल मुख्यालय, सिविल लाइंस,
कोल एस्टेट नागपुर-440018

7. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) -सदस्य संयोजक
रायपुर

8. श्री जय भगवान, अवर सचिव -सदस्य समन्वयक
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से होंगे:-

"यह अध्ययन करना कि दिनांक 21.06.1988 की अधिसूचना सं. सा.आ. 2063(अ.) के प्रति उक्त अधिसूचना की अनुसूची(क्रम सं. 1 से 5) में दिए गए कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन का निषेध करते हुए दिनांक 21.06.1988 की अधिसूचना सं. सा.आ. 2063 की अनुसूची में क्रम सं. 1 से 3 पर विनिर्दिष्ट कार्यों में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 15 एमटीपीए के परसा ईस्ट और कांता बसेन कोल ब्लॉक में कोयला खनन परियोजनाओं को छूट की मंजूरी उचित है या नहीं।"

4. समिति का मुख्यालय रायपुर में होगा। समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

जय भगवान, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Central Advisory Contract Labour Board)

RESOLUTION

New Delhi the 12th September, 2024

No. S-16012/01/2021-L.W(B).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption to Parsa East and Kanta Basean Coal Block of 15 MTPA of Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. under section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 against Notification No. S.O. 2063 dated 21.06.1988 in respect of employment of Contract Labour in the works at serial no. 1 to 3 given in the schedule to the said Notification.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

1. Shri Surendra Kumar Pandey, - Chairman
   Bharatiya Mazdoor Sangh,
   Qutr. 107 Po-Vishrampur Koliyari,
   District- Surajpur, Chhatisgarh.
2. Shri Himanshu Sekhar Pradhan G.M. (H and A), - Member
   National Aluminium Company Limited,
   P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751013.
3. Shri Jayant S. Deshpande, - Member
   E-88, Amar Colony, Near Raghunath Mandir,
   Lajpat Nagar-4,
   New Delhi-110024
4. Shri Mukesh Mathur, - Member
   General Secretary,
   North Western Railway Employees Union (NWREU),
   Railway Banglow No. 9B,
   Ganpati Nagar Railway Colony,
   Jaipur (Rajasthan).
5. Shri Ranjay Kumar, - Member
   Qr. No. 6117, Sector-4/F,
   Bokaro Steel City,
   Jharkhand-827004.
6. Shri Shiv Kumar Yadav, - Member
   President,
   Koyala Shramik Sabha,
   WCL Headquarter, Civil Lines,
   Coal Estate Nagpur-440018.
7. Deputy Chief Labour Commissioner (Central) - Member Convener
   Raipur.
8. Shri Jai Bhagwan, Under Secretary - Member Coordinator
   Ministry of Labour and Employment
   Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
   New Delhi-110001

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows: -

"To study whether there is justification for grant exemption to Coal Mining Projects at Parsa East and Kanta Basean Coal Block of 15 MTPA of Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. in the works specified in the schedule to the notification No. S.O. 2063 dated 21.06.1988 at serial no. 1 to 3 against Notification No. S.O. 2063 dated 21.06.1988 prohibiting of employment of Contract Labour in the works given in the schedule (Sl. No. 1 to 5) to the said Notification."

4. The Headquarters of the Committee will be at Raipur. The Committee shall submit its report within two months.

JAI BHAGWAN, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.13 18:17:54 +05'30'